कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 444/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.11.2026

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

मिनी ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक बरामद

🔹 थाना बरदह क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लसड़ाकला के पास बोलेरो में टक्कर लगने के बाद हुए विवाद में एक व्यक्ति को मिनी ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाले अभियुक्त पंकज कुमार उर्फ साधू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक संख्या UP50ET9249 बरामद किया गया।

घटना का विवरण–

दिनांक 23.11.2026 को वादी उदयराज यादव निवासी ग्राम विशुनपुर बसवत, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने परिजनों के साथ बोलेरो से रिश्तेदारी में जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम लसड़ाकला पुलिया के पास मिनी ट्रक द्वारा उनकी बोलेरो में टक्कर मार दी गई। पीछा कर ट्रक चालक को रोकने पर हुए विवाद में चालक ने जान से मारने की नीयत से ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उनके पिता साहबराज यादव (उम्र लगभग 60 वर्ष) की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 363/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 24.11.2026 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर राजागंज बाजार के पास चेकिंग के दौरान घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक संख्या UP50ET9249 को रोककर चालक पंकज कुमार उर्फ साधू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम खरगीपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को समय लगभग 02:30 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

पंकज कुमार उर्फ साधू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम खरगीपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष।

बरामदगी–

घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक संख्या UP50ET9249 (टाटा मोटर्स, ईंट लाल रंग)।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 363/26 धारा 103(1) बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 रविन्द्र भारती, हे0का0 कमलेश प्रसाद, हे0का0 कमलेश कुमार, का0 मुरलीधर पटेल, का0 उत्सव पति त्रिपाठी एवं म0का0 स्वाति दुबे, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

जमीन की धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दोबारा बिक्री करने के मामले में 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

🔹 थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा जमीन की धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने तथा एक ही जमीन को दोबारा बिक्री करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त हुसैन मोहम्मद एवं अभियुक्ता खुर्शीद फातिमा को दिनांक 24.11.2026 को समय लगभग 09:25 बजे मकान नं0 181, सीताराम मोहल्ला, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण–

दिनांक 23.09.2026 को श्रीमती सुभावती पत्नी पतिराम यादव निवासी ग्राम सुन्दर सराय बल्लो, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा वर्ष 2017 में

उनके पिता द्वारा अपनी बहुओं के नाम वसीयत किए जाने की जानकारी होने के बावजूद पुनः अपने नाम जमीन का वरासत कराकर जमीन की बिक्री की गई तथा पुनः अपनी पत्नियों के नाम वसीयत कराकर उक्त जमीन को दोबारा बेच दिया गया। इस प्रकार क्रेता सीता यादव को भी जमीन विक्रय की गई। उक्त प्रकरण में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 388/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 336(4), 340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान धारा 338 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 24.11.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त हुसैन मोहम्मद एवं अभियुक्ता खुर्शीद फातिमा को मकान नं0 181, सीताराम मोहल्ला, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ से समय लगभग 09:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1. हुसैन मोहम्मद पुत्र स्व0 सैय्यद अली निवासी ग्राम इमलीपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. खुर्शीद फातिमा पत्नी हुसैन मोहम्मद निवासी ग्राम इमलीपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 388/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 336(4), 340(2), 338 बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त एवं अभियुक्ता के विरुद्ध निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0 388/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 336(4), 340(2), 338 बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 194/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, का0 राजू यादव एवं म0का0 सपना सरोज, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

◆ थाना रौनापार पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में 1,19,000 रुपये की जाली मुद्रा एवं जाली मुद्रा बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत है।

घटना का विवरण–

दिनांक 24.11.2026 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे की तहरीर पर थाना रौनापार में मु0अ0सं0 329/2026 धारा 2(b)(xx), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुल 08 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर अवैध गतिविधियां संचालित किए जाने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 48/2026 धारा 178/179/180/181 बीएनएस के अंतर्गत 1,19,000 रुपये की जाली मुद्रा एवं जाली मुद्रा बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन में थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे के नेतृत्व में थाना रौनापार पुलिस द्वारा दिनांक 24.11.2026 को अभियुक्तों के घर पर दबिश दी गई। इस दौरान अभियुक्तगण अपने

घरों पर मौजूद मिले, जिन्हें समय लगभग 05:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. नितिन सिंह उर्फ भोला पुत्र स्व0 अलगू सिंह, निवासी ग्राम बरडीहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष।
2. ऋषिकेश सिंह उर्फ शनि पुत्र रविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम बरडीहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष।
3. आदित्य सिंह उर्फ चंकी पुत्र रविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम बरडीहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 28 वर्ष।
4. शिवम सिंह उर्फ विदुर पुत्र कमलेश सिंह, निवासी ग्राम बरडीहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 329/2026 धारा 2(b)(xx), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

1. नितिन सिंह उर्फ भोला

1. मु0अ0सं0 138/18 धारा 379/411 भादवि, थाना जीयनपुर।
2. मु0अ0सं0 507/17 धारा 379/411/420/467/468 भादवि, थाना कोतवाली।
3. मु0अ0सं0 323/19 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि, थाना कोतवाली।
4. मु0अ0सं0 28/19 धारा 379/411/419/420/468/467/471 भादवि, थाना रौनापार।
5. मु0अ0सं0 48/26 धारा 178/179/180/181 बीएनएस, थाना रौनापार।

2. ऋषिकेश सिंह उर्फ शनि

1. मु0अ0सं0 56/24 धारा 323/504/506/427 भादवि, थाना रौनापार।
2. मु0अ0सं0 48/26 धारा 178/179/180/181 बीएनएस, थाना रौनापार।

3. आदित्य सिंह उर्फ चंकी

1. मु0अ0सं0 237/19 धारा 147/148/308/323/452/506 भादवि, थाना रौनापार।
2. मु0अ0सं0 199/19 धारा 323/504/506 भादवि, थाना रौनापार।
3. मु0अ0सं0 48/26 धारा 178/179/180/181 बीएनएस, थाना रौनापार।

4. शिवम सिंह उर्फ विदुर

1. मु0अ0सं0 170/19 धारा 323/504/506/352/452 भादवि, थाना रौनापार।
2. मु0अ0सं0 198/19 धारा 147/323/427 भादवि, थाना रौनापार।
3. मु0अ0सं0 48/26 धारा 178/179/180/181 बीएनएस, थाना रौनापार।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, हे0का0 दिनेश कुमार, का0 अखिलेश गौतम, म0का0 पूजा पासवान एवं म0का0 सावित्री चौधरी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

मारपीट एवं जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

◆ थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा घर में घुसकर लाठी-डण्डे से मारपीट करने, वाहन क्षतिग्रस्त करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद लाठी-डण्डा बरामद।

घटना का विवरण–

वादी मुकदमा घनश्याम गुप्ता पुत्र स्व0 गोवर्धन गुप्ता निवासी ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा उनके भाई रामदुलार एवं भतीजे अभिषेक को जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर लाठी-डण्डे से मारापीटा गया, वाहन क्षतिग्रस्त किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 225/2026 धारा 115(2), 351(3), 109(1), 333, 324(4), 3(5) बीएनएस के तहत 07 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष दीदारगंज के नेतृत्व में दिनांक 24.11.2026 को उपनिरीक्षक अवधेश कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई तथा घर के सामने बैठे दोनों अभियुक्तों को समय लगभग 11:20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. संजय गुप्ता पुत्र रामचेत गुप्ता, निवासी ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 36 वर्ष।
2. भोला उर्फ भोले गुप्ता पुत्र रामजग गुप्ता, निवासी ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 26 वर्ष।

बरामदगी–

02 अदद लाठी-डण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 225/2026 धारा 115(2), 351(3), 109(1), 333, 324(4), 3(5) बीएनएस, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उपनिरीक्षक अवधेश कुमार, का0 महेश यादव एवं का0 सोनू यादव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

मिनी ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

◆ थाना बरदह पुलिस द्वारा बोलेरो में टक्कर लगने के बाद हुए विवाद में एक व्यक्ति को मिनी ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक (टाटा गुड्स कैरियर) बरामद।

घटना का विवरण–

दिनांक 23.11.2026 को वादी मुकदमा उदय राज यादव पुत्र साहबराज यादव निवासी ग्राम विशुनपुर बसवत, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि वह अपने परिजनों के साथ बोलेरो वाहन से रिश्तेदारी में जा रहे थे। रास्ते में लसड़ा कला पुलिया के पास विपरीत दिशा से आ रहे मिनी ट्रक संख्या UP50ET9249 के चालक द्वारा उनकी बोलेरो में टक्कर मार दी गई। इसके बाद वादी एवं उनके पिता द्वारा ट्रक चालक को रोककर टक्कर के संबंध में पूछताछ की गई, जिस पर चालक ने ट्रक से कुचलने की धमकी देते हुए उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। इस घटना में वादी के पिता साहबराज यादव उम्र लगभग 60 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 363/2026 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.11.2026 को सूचना के आधार पर राजागंज बाजार के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जौनपुर की तरफ जा रहे मिनी ट्रक संख्या UP50ET9249 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम पंकज कुमार उर्फ साधू बताया तथा पूछताछ में घटना में प्रयुक्त ट्रक होने की जानकारी दी। पुलिस द्वारा अभियुक्त को घटना से अवगत कराते हुए दिनांक 24.11.2026 को समय लगभग 02:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

पंकज कुमार उर्फ साधू पुत्र रामपाल, निवासी ग्राम खरगीपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष।

बरामदगी–

घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक संख्या UP50ET9249, टाटा गुड्स कैरियर, रंग ईंट लाल।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 363/2026 धारा 103(1) बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 262/2021 धारा 308, 323, 34 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 363/2026 धारा 103(1) बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, उपनिरीक्षक रवीन्द्र कुमार भारती, हे0का0 कमलेश प्रसाद, हे0का0 कमलेश कुमार, का0 मुरलीधर पटेल, का0 उत्सव पति त्रिपाठी एवं म0का0 स्वाति दुबे, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

◆ थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्त अमित नायक को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण–

दिनांक 25.10.2026 को एक व्यक्ति द्वारा थाना जीयनपुर पर सूचना दी गई कि उनके परिवार की 19 वर्षीय युवती दिनांक 24.10.2026 को घर से बिना बताए कहीं चली गई है तथा वापस नहीं लौटी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0442/2026 धारा 87 बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 123, 64(1), 115(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अमित कुमार तिवारी मय हमराह पुलिस बल द्वारा सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त अमित नायक को दिनांक 24.11.2026 को जीयनपुर रोडवेज से समय लगभग 11:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

अमित नायक पुत्र ओमदत्त, निवासी ग्राम शिक्षितपुर, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 0442/2026 धारा 87, 123, 64(1), 115(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उपनिरीक्षक अमित कुमार तिवारी एवं का0 रानू सैनी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।